तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज हुड़ी बनाम स्टेट मु. सं. 76/19

दिनांकः 12.06.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.01 गै.मु.खड्डा व खसरा नम्बर 916 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हैक्टर प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसपन प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया की आराजी की डोलमेड को अगल–बगल के खेत वाले जब चाहे तोड लेते है तथा कब्जा करने की फिराक में है। उनको कहते है तों झगडा करने पर उतारु होते है। इस बावत् तहसीलदार महवा को भी निवेदन किया लेकिन टालमटोल कर दिया और कहा कि एस. डी.ओ. साहब महवा का आदेश लेकर आने की कहा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त वर्णित आराजी की सीमा की पैमाईश करवाकर उसकी मेढों पर पत्थरगढी करने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 30.06.2022 को जबाव प्रस्तुत कर उक्त वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कर तत्पश्चात् पत्थरगढी किये जाने की सिफारिश की है।

हमने उभंय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वहस के दौरानउभय पक्ष ने प्रार्थिया की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने को सहमत हुए। इसलिये प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्व भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भूराजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम पहाडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.01 गै.मु.खड्डा व खसरा नम्बर 916 रकबा 0.20 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार महवा टीम गठित करें एवं टीम गठित करने से पूर्व प्रार्थिया एवं पडौसी खातेदारान को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे। पर्चा मौका तैयार कर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये जावे। उक्त आश्य की तहरीर तहसीलदार महवा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा